

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 25, सोमवार, शाके 1948- जून 15, 2026 Jyaistha 25, Monday, Saka 1948- June 15, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 05, 2026

(भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

घोषणा एवं सार

प्रपत्र-9

(नियम 21 का उपनियम (1) देखें)

Rajkaj Ref : 22537321 :-राजस्थान सरकार को यह प्रतीत होता है कि उपखण्ड क्षेत्र बून्दी में, संलग्न अनुसूची की सम्बद्ध सारणी के कॉलम (1) से (6) तक में तहसील-रायथल जिला-बून्दी के उल्लेखित 01 राजस्व ग्राम हनोतिया के 09 खसरों के आंशिक/सम्पूर्ण भाग का 1.13 हैक्टेयर क्षेत्रफल प्रान्तीय महत्व की प्रस्तावित परियोजना “कुरेल नदी (एमडीआर-354) पर हनोतिया से जैथल तक उच्च स्तरीय पुल निर्माण परियोजना” का जनहित में निर्माण/विकास किए जाने के लिए आवश्यक भूमि/भूमियों की भूमि-अवाप्ति की कार्यवाही “भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 30) की धारा-19 की उपधारा (1) एवं राजस्थान सरकार के भूमि-अर्जन नियम 2016 के नियम-21 उपनियम (1)” के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाना अत्यावश्यक है।

अतः एतद्वारा घोषणा की जाती है कि मानक माप के अनुसार 1.13 हेक्टेयर भूमि “कुरेल नदी (एमडीआर-354) पर हनोतिया से जैथल तक उच्च स्तरीय पुल निर्माण परियोजना” के लिए राजस्व ग्राम-हनोतिया तहसील-रायथल जिला-बून्दी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची के अनुसार है।

अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की अनुसूची से सम्बद्ध सारणी (सार-संक्षेप)

क्र. सं.	जिला	तहसील	राजस्व ग्राम	प्रभावित भूमि का विवरण	
				खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बून्दी	रायथल	हनोतिया	09	1.13

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण / अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा-15 के प्रावधानों के तहत हितबद्ध व्यक्तियों/खातेदारों से उक्त भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों को सुनने, जाँच एवं उनका निस्तारण कर एवं सरकार द्वारा अनुमादित करने के उपरांत की गई है।

इस भू-अर्जन के कारण पुनर्वासन होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है।

कौयला, लोहा, पत्थर स्लेट या अन्य खनिजों की खादानों के होने की स्थिति में उपरोक्त भूमि के किसी विशेष हिस्से जिनकी खानों और खनिज जिनकों खोदा जाना आवश्यक हो सकता है के ऐसे भागों को छोड़कर/निकालकर परियोजना के निर्माण चरण के दौरान भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी भूमि का ही अधिग्रहण किया जा सकता है।

प्रस्तावित भूमि अर्जन से किसी भी प्रभावित व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

अथवा

उक्त परियोजना के पुनर्वासन योजना प्रस्ताव शून्य होने से प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों का विस्थापन/पुनर्वासित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। प्रभावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण/अवलोकन भूमि-अवाप्ति अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) एवं उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर किया जा सकता है

अनुसूची

ग्राम का नाम: हनोतिया						तहसील: रायथल				जिला: बून्दी				
क्र. सं.	खसरा नम्बर	शीर्षक का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल रकबा (हे)	प्रभावित रकबा (हे)	हितबद्ध व्यक्तियों का नाम व पता	सीमाओं का विवरण				वृक्षों का विवरण		संरचनाओं का विवरण	
							उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	221	सरकारी	गै.मु. रास्ता	1.26	0.05	राजस्थान सरकार	25	213	222	176	-	-	-	-
2	222	सरकारी	गै.मु. रास्ता	2.33	0.09	राजस्थान सरकार	28	224	537/223	221	-	-	-	-
3	540/26	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.40	0.10	राजस्थान सरकार	213	542/228	539/226	539/26	-	-	-	-

ग्राम का नाम: हनोतिया						तहसील: रायथल				जिला: बून्दी				
क्र. सं.	खसरा नम्बर	शीर्षक का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल रकबा (हे)	प्रभावित रकबा (हे)	हितबद्ध व्यक्तियों का नाम व पता	सीमाओं का विवरण				वृक्षों का विवरण		संरचनाओं का विवरण	
							उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	539/226	सरकारी	गै.मु. नदी	0.51		राजस्थान सरकार	213	292	225	540/226	-	-	-	-
5	224	सरकारी	गै.मु. नदी	0.33	0.33	राजस्थान सरकार	537/223	297	538/223	221	-	-	-	-
6	225	सरकारी	गै.मु. नदी	0.42	0.01	राजस्थान सरकार	213	294	213	539/226	-	-	-	-
7	537/223	सरकारी	गै.मु. रास्ता	1.03	0.47	राजस्थान सरकार	222	224	-	224	-	-	-	-
8	297	सरकारी	बाराणी 2	0.20	0.07	राजस्थान सरकार	224	213	298/447	213	-	-	-	-
9	366	सरकारी	गै.मु. नाला	0.66	0.01	राजस्थान सरकार	224	365	-	299	-	-	-	-
कुल योग					1.13									

पंकज आर्य,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।